

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—12/19 (2019/00110) वादपत्र

1. रूकमणीदेवी पत्नि माधुलाल गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. रमेशचन्द्र आत्मज घनश्यामलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
2. जगदीशचन्द्र आत्मज घनश्यामलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
3. गोपीबाई बेवा घनश्यामलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
4. मनोहरलाल आत्मज नारायणलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
5. राजेश आत्मज नारायणलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
6. कृष्णादेवी पुत्री नारायणलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
7. अंजुदेवी पुत्री नारायणलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
8. हिमाशुंआत्मज कैलाशचन्द्र सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
9. विजयलक्ष्मी पुत्री कैलाशचन्द्र सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
10. प्रमोदकुमार आत्मज सुरेशलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
11. रतनदेवी आत्मज सुरेशलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
12. गंगादेवीपत्नि घासीराम गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. दाखीदेवीपत्नि जयराम गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. गोमीपत्नि छगु गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. रामीपत्नि किका गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. मीठुपत्नि सोहन गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. गंगादेवीपत्नि सालगराम गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. हरिश टेलर—

अधिवक्ता वादीया

2. फारूख मोहम्मद —

अधिवक्ता प्रतिवादी 17

निर्णय

दिनांक 03.11.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 24.12.2019 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम डागड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 के सयुंक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे आराजियात संख्या 295 रकबा 4.95 है0, वादीया का 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 17 का 1/6 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु






प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 20.10.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम डागड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 432/249/4 रकबा 0.63 है० भूमि रूकमणी देवी पत्नि माधुलाल गुजर सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 432/249/5 रकबा 0.62 है० भूमि गंगादेवी पत्नि सालगराम गुजर सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 432/249/2 रकबा 0.625 है० भूमि गंगादेवी पत्नि घासीराम, दाखीदेवी पत्नि जयराम, गोमीदेवी पत्नि छग्गु, रामी पत्नि कीका, मीठु पत्नि सोहन गुजर सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 432/249/1 रकबा 0.04 है०, आराजी संख्या 432/249/3 रकबा 0.06 है० कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.10 है० भूमि शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
सहायक कलक्टर रायपुर (जिला भीलवाड़ा)  
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बर:—12/19 (2019/00110) वादपत्र

1. रूकमणीदेवी पत्नि माधुलाल गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

**बनाम**


1. रमेशचन्द्र आत्मज घनश्यामलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
2. जगदीशचन्द्र आत्मज घनश्यामलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
3. गोपीबाई बेवा घनश्यामलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
4. मनोहरलाल आत्मज नारायणलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
5. राजेश आत्मज नारायणलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
6. कृष्णादेवी पुत्री नारायणलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
7. अंजुदेवी पुत्री नारायणलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
8. हिमाशुआत्मज कैलाशचन्द्र सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
9. विजयलक्ष्मी पुत्री कैलाशचन्द्र सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
10. प्रमोदकुमार आत्मज सुरेशलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
11. रतनदेवी आत्मज सुरेशलाल सनादय ब्राह्मण निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा
12. गंगादेवीपत्नि घासीराम गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. दाखीदेवीपत्नि जयराम गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. गोमीपत्नि छगु गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. रामीपत्नि किका गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. मीठुपत्नि सोहन गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. गंगादेवीपत्नि सालगराम गुजर निवासी डागड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम डागड़ा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 432/249/4 रकबा 0.63 है0 भूमि रूकमणी देवी पत्नि माधुलाल गुजर सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 432/249/5 रकबा 0.62 है0 भूमि गंगादेवी पत्नि सालगराम गुजर सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 432/249/2 रकबा 0.625 है0 भूमि गंगादेवी पत्नि घासीराम, दाखीदेवी पत्नि जयराम, गोमीदेवी पत्नि छगु, रामी पत्नि कीका, मीठु पत्नि सोहन गुजर सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 432/249/1 रकबा 0.04 है0 आराजी संख्या 432/249/3 रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.10 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 03.11.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

  
3-11-2020  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)